पाठ्यक्रम मे पाठ्येतर गतिविधियों को समायोजित करने में विद्यालय नेत्रत्व की भूमिका - हरियाणा एक संदर्भ

पर

एक मॉड्यूल

Celebration Yoga in

National Centre for School Leadership

विद्यालय नेतृत्व अकादमी
राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, हरियाणा
गुरुग्राम – 122001
School Leadership Academy
State Council of Educational Research & Training, Haryana,Gurugram

122001

पाठ्यक्रम मे पाठ्येतर गतिविधियों को समायोजित करने में विद्यालय नेत्रत्व की भूमिका - हरियाणा एक संदर्भ

श्री सत्यवीर यादव *

भूमिका

किसी भी विद्यालय को जीवंत विद्यालय बनाने के लिए पाठ्येतर गतिविधियों की निर्णायक भूमिका होती है। विद्यालय में अध्ययन एवं अध्यापन की गतिविधियों के साथ पाठ्येतर गतिविधियां आवश्यक ही नहीं, अपितु अनिवार्य होती हैं। हालांकि इन गतिविधियों का संयोजन एवं संचालन विद्यालय की टीम भावना पर केंद्रित होता है, किंतु मार्गदर्शन, नवाचार तथा प्रोत्साहन के लिए स्कूल मुखिया की भूमिका मुख्य होती है। इस मॉड्यूल के माध्यम से यह जानने व समझने का प्रयास करें कि हरियाणा प्रदेश के स्वस्थ शैक्षणिक माहौल में किस तरह पाठ्येतर गतिविधियों से विद्यालय में रचनात्मकता, अनुशासन, टीम वर्क तथा नई ऊर्जा का संचार होता है तथा स्कूल मुखिया इन तमाम गतिविधियों के संरक्षण एवं संवर्धन में कैसे अपना प्रेरक योगदान दे सकते हैं।

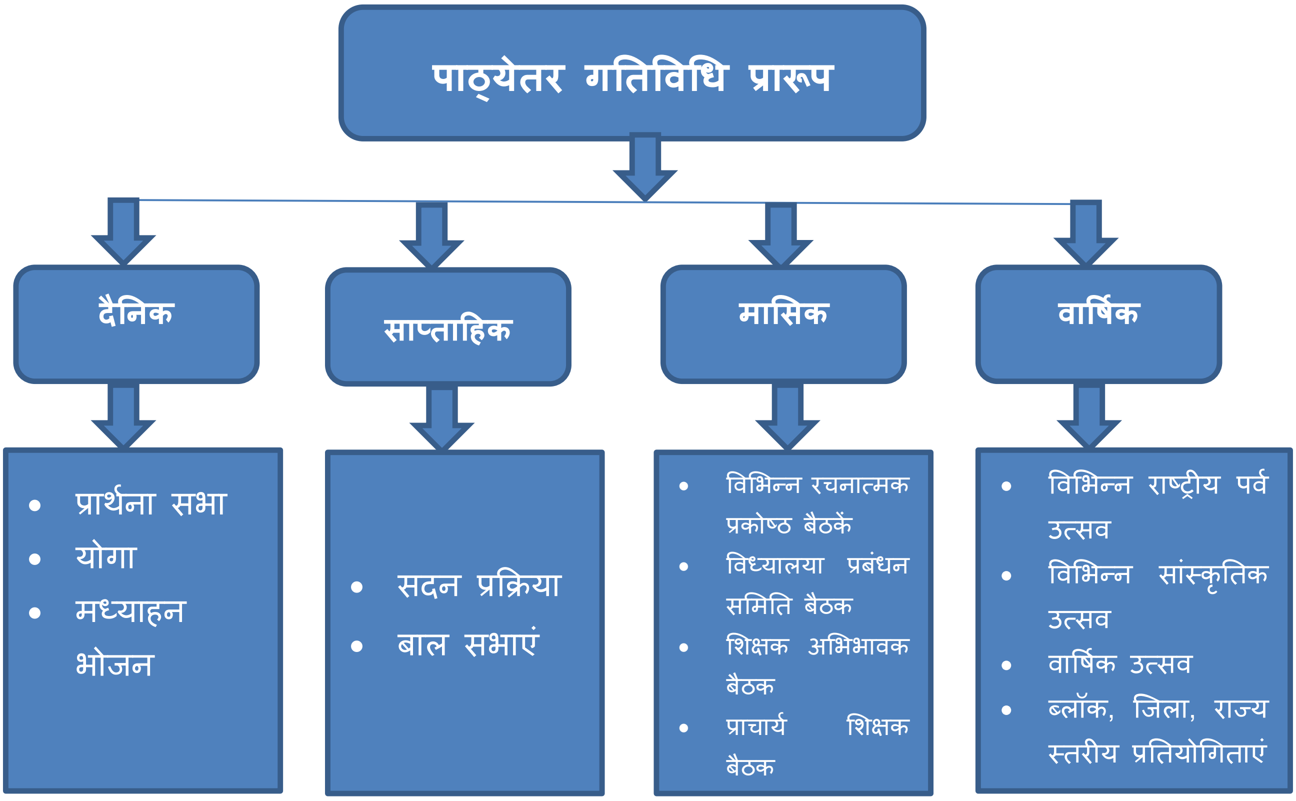
पाठ्येतर गतिविधि प्रारूप
दैनिक
साप्ताहिक
मासिक
वार्षिक
प्रार्थना सभा
योगा
मध्याहन भोजन
सदन प्रक्रिया
बाल सभाएं
विभिन्न रचनात्मक प्रकोष्ठ बैठकें
विध्यालया प्रबंधन समिति बैठक
शिक्षक अभिभावक बैठक
प्राचार्य शिक्षक बैठक
विभिन्न राष्ट्रीय पर्व उत्सव
विभिन्न सांस्कृतिक उत्सव
वार्षिक उत्सव
ब्लॉक, जिला, राज्य स्तरीय प्रतियोगिताएं

पाठ्येतर गतिविधियों के संयोजन, संचालन एवं संपादन हेतु मुख्य रूप से दैनिक, सप्ताहिक तथा मासिक प्रारूप बनाए जाने चाहिए। दैनिक प्रारूप के लिए प्रार्थना सभा, सप्ताहिक प्रारूप हेतु बालसभा तथा मासिक प्रारूप के लिए प्रदर्शनी, बालिका मंच, खेल उत्सव, सदन बैठक आदि रचनात्मक प्रारूप रखे जा सकते हैं। ये तमाम गतिविधियां भले ही पाठ्यक्रम से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं रखती, किंतु विद्यार्थियों

के बहुआयामी व्यक्तित्व को सुधारने, उनकी विभिन्न प्रतिभाओं को मंच प्रदान करने, उनमें जीवन कौशल एवं प्रतिनिधित्व क्षमता के गुण पैदा करने, उनके बहुमुखी विकास को सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाती हैं, फिर क्या इन पाठ्येतर गतिविधियों को नजरअंदाज किया जा सकता है? जी, कदापि नहीं। तो, आइए इस मॉड्यूल के माध्यम से हम विद्यालय की दैनिक, साप्ताहिक, मासिक तथा वार्षिक गतिविधियों के क्रियान्वयन में स्कूल मुखिया की भूमिका के माध्यम से इन से जुड़े सभी पक्षों के बारे में चर्चा करें तथा जानें कि इन्हें पाठ्यक्रम की गतिविधियों के साथ जोड़कर किस तरह विद्यालय की रचनात्मकता का अभिन्न हिस्सा बनाया जा सकता है।

प्रकाशन का मंच : शिक्षा सारथी

हरियाणा प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा विभाग विद्यार्थियों तथा शिक्षकों को रचनात्मक लेखन हेतु मासिक पत्रिका शिक्षा सारथी के रूप में एक खुला मंच प्रदान किया गया है। इसमें जहां विद्यार्थी अपनी बहुआयामी रचना धर्मिता को पेंटिंग कविता तथा लेख आदि के माध्यम से भेज सकते हैं वहीं शिक्षक विभागीय गतिविधियों के अलावा अपने विद्यालय के प्रतिभाशाली छात्र-छात्राओं तथा गतिविधियों की रिपोर्ट प्रेषित कर सकते हैं।

दैनिक प्रारूप

(i) प्रार्थना सभा

जैसा कि हम जानते हैं कि प्रार्थना सभा किसी भी विद्यालय की दिनचर्या का आईना होती हैं। प्रार्थना सभा के मुख्य घटक कमांड, प्रार्थना, आज के मुख्य समाचार, आज का विचार, उपस्थिति एवं निरीक्षण,

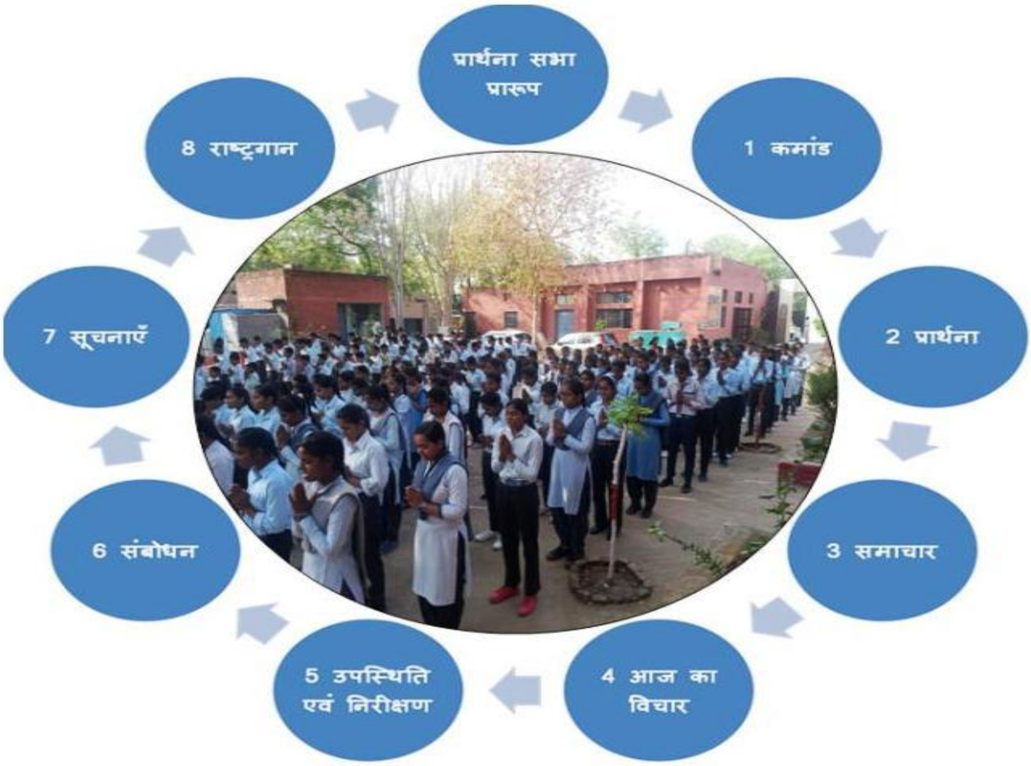

प्रार्थना सभा के चरण	**क्रियान्वन विधि**
कमांड	प्रार्थना की घंटी लगते ही प्राचार्य एवं स्टाफ की देखरेख में विद्यार्थियों का प्रार्थना के लिए पंक्तिबद्ध होने की चहलकदमी के साथ ही कमांड जरूरी हो जाती है। विद्यालय के डीपीई,पीटीआई द्वारा इस दायित्व का निर्वहन किया जाना स्कूल लीडर सुनिश्चित करें। इसे छत्रों द्वारा ही संपादित करवाया जाए ताकि उनमें आत्मविश्वास पैदा हो। कमांड ड्रम पर की जानी चाहिए।
प्रार्थना	अनुशासित कमांड के बाद विद्यालय की शुरुआत सामूहिक प्रार्थना से की जाती है,जिसके लिए वाद्ययंत्रों एवं साउंड के साथ सुरीले विद्यार्थियों की अगुवाई में संपादित किया जाना सदन प्रभारी के माध्यम से स्कूल लीडर सुनिश्चित करें। प्रार्थना प्रार्थना ही हो, भजन आदि नहीं। सदनवार ज्यादा से ज्यादा विदयार्थियों को इसमें प्रतिनिधित्व दिया जाए। प्रार्थना 3 से 5 मिनट की हो।
आज के प्रमुख समाचार	प्रार्थना सभा के दैनिक स्तंभ आज के प्रमुख समाचार के अंतर्गत केवल उन्हीं समाचारों को स्थान दिया जाए, जो सूचनापरक, बाल मनोविज्ञान पर आधारित, प्रेरक, सामान्य ज्ञान केंद्रित-हो। राजनीतिक उठापटक तथा नकारात्मक समाचारों को कभी स्थान न दें। यह भी प्रयास रहे कि अलगअलग वार - को हिंदी, अंग्रेजी संस्कत भाषाओं में समाचार प्रस्तत किए जाएं।
आज का विचार	प्रार्थना सभा में प्रतिदिन किसी महापुरुष, दार्शनिक, लेखक, संत कवि आदि के विचार को उनके नाम के साथ प्रस्तुति दी जाए। दिवस विशेष, जयंती या पुण्यतिथि पर संबंधित महापुरुष के कथन को ही महत्व देकर उनका भावपूर्ण स्मरण किया जा सकता है। समाचार की भांति आज के विचार को भी किसी निर्धारित विचार पट पर लिखवाया जाए।
उपस्थिति एवं निरीक्षण पक्ष	इस पक्ष के अंतर्गत एक और जहां पूरे विद्यालय की एक साथ कक्षा मॉनिटर्स के माध्यम से सामूहिक उपस्थिति दर्ज की जाती है, वहीं सभी कक्षा प्रभारी अपनी अपनी कक्षा के विद्यार्थियों की यूनिफार्म, नाखून,बाल, दैनिक प्रार्थना सभा प्रतिभागिता आदि का बहुआयामी सूक्ष्म निरीक्षण भी करना सुनिश्चित करें, जिसमें कोई कमी पाने पर सजा देने की बजाय उनका मनोवैज्ञानिक मार्गदर्शन करें।
सम्बोधन	प्रार्थना सभा का यह पक्ष 2 से 3 मिनट का रखा जाए, जिसमें दिवस विशेष के महत्व या विद्यार्थियों के बहुआयामी व्यक्तित्व को निखारने के उद्देश्य से प्रेरक संबोधन रखा जाए, जिसमें ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों तथा शिक्षकों को पूर्व निर्धारित विषय के अनुसार आमंत्रित किया जाए। कभीकभी प्राचार्य - इस पक्ष में शामिल होकर इस दैनिक स्तंभ को नई ऊंचाइयां प्रदान भी कर सकते हैं।
सूचनाएँ	विद्यार्थियों तथा विद्यालय से जुड़ी प्रासंगिक विभागीय सूचनाओं, विद्यालय के स्वस्थ शैक्षणिक माहौल तथा विद्यार्थियों की उपलब्धियां रेखांकित करते हुए उन्हें प्रेरित एवं प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। किसी पक्ष में हर सप्ताह होने वाली बालसभा तथा हर माह होने वाले विद्यालय की विभिन्न कार्यक्रमों की सूचना, नियमावली, पंजीकरण आदि की जानकारी भी शामिल है। इस पक्ष के अंत में आज का सवाल जैसा कोई रोचक प्रारूप जोड़ा जा सकता है।
राष्ट्रगान	विद्यार्थियों को राष्ट्रीय दायित्व बोध के लिए तथा राष्ट्रीय भावना को स्वर देने के लिए राष्ट्रगान सेकंड मे 52 करवाना अनिवार्य है।राष्ट्रगान का संपादन रिकॉर्डिंग के साथ किया जाए तथा राष्ट्रगान की बाद विद्यार्थियों को कक्षावार ड्रम्स की बीट्स के साथ कदमताल करते रहे प्रस्थान करने के आदेश दिए जाएँ। जब तक विद्यार्थी कक्षावार प्रारूप के साथ प्रस्थान कर रहे हों, प्राचार्य स्टाफ के साथ दो मिनट की एक खड़ी बैठक कर सकते है।

संबोधन, सूचनाएं, राष्ट्रगान आदि होते हैं, जिनके साथ जरूरत के अनुसार समसामयिक पक्ष जुड़ते रहते हैं।जिस विद्यालय की प्रार्थना सभा का प्रारूप जितना अनुशासित, प्रेरक, नवाचारी एवं रचनात्मकता से ओतप्रोत होता है, उस विद्यालय में नित्य नई ऊर्जा का संचार होता चला जाता है तथा धीरे-धीरे विद्यालय स्वयं आत्म अनुशासन की और अग्रसर होकर हर क्षेत्र में उत्कृष्टता के नए आयाम रचता है। अवसर विशेष पर प्रार्थना सभा के प्रारूप में रचनात्मक बदलाव भी किया जा सकता है, किंतु प्रयास किया जाए कि प्रार्थना सभा को 15 से 20 मिनट में संपादित कर लिया जाए। अतिरिक्त गतिविधियों को जिस दिन जोड़ना हो उस दिन कुछ दैनिक नियमित गतिविधियों में से कटौती की जा सकती है। उदाहरण के तौर पर यदि किसी दिन किसी शिक्षक के जन्मदिवस पर उन्हें शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए उनके हाथों विद्यालय में एक पौधा लगवाना है तो इस पक्ष को प्रार्थना सभा में ही प्रतीक रूप में संपादित करवा लिया जाए कि प्राचार्य उन्हें जन्मदिवस पर पूरे विद्यालय परिवार की ओर से एक पौधा भेंट करें। जिसे प्रार्थना सभा के बाद कुछ विद्यार्थियों एवं शिक्षकों के साथ संबंधित शिक्षक द्वारा लगवा लिया जाए। इस दिन संबोधन पक्ष संबंधित शिक्षक पर ही केंद्रित हो तथा उन्हें भी आभार ज्ञापित करने के लिए समय दिया जाए। इसी प्रकार अवसर विशेष पर पूर्व निर्धारित प्रारूप अनुसार प्रार्थना सभा को अतिरिक्त समय भी दिया जा सकता है ताकि उसमें संबंधित विशेष गतिविधि को संपादित किया जा सके। उदाहरण के तौर पर शिक्षक दिवस पर यदि विद्यार्थियों द्वारा सभी शिक्षकों का सम्मान आदि करने का रचनात्मक प्रारूप बनें तो उस दिन अन्य कुछ पक्षों को छोड़कर इसमें शिक्षक दिवस विशेष की रचनात्मकता विद्यार्थियों एवं शिक्षकों द्वारा डाली जा सकती है।

(ii) **योगा**

दैनिक प्रार्थना सभा में जहां समय-समय पर योग एवं प्राणायाम के महत्व पर प्रासंगिक जानकारी दी जानी चाहिए। साथ ही योगा को विद्यार्थियों के दैनिक जीवन का अहम हिस्सा बनाने के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रतिदिन नियम से 5-10 मिनट योगाभ्यास कराया जाना अनिवार्य है। भोजन के बाद किए जाने वाले आसन घर पर कैसे और किस समय किए जाए, इसका प्रदर्शन एवं निर्देशन छात्रों को दिया जाना चाहिए। मुखिया स्वयं इस प्रक्रिया का हिस्सा बने और सभी अध्यापकों एवं छात्रों को प्रतिदिन प्राणायाम, कुछ सूक्ष्म व्यायाम, ॐ का उच्चारण आदि योगाभ्यास करने एवं करवाने के आदेश दें।

_योगा क्लब_

विद्यार्थियों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से इस क्लब का गठन किया जाता है, जिसमें दैनिक योग एवं प्राणायाम आदि क्रियाओं का प्रार्थना सभा तथा साप्ताहिक बाल सभाओं के अलावा विभिन्न अवसरों पर योगाभ्यास करवाया जाता है।

(iii) **मध्याहन भोजन**

हरियाणा प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में आठवीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए प्रधानमंत्री पोषण योजना के तहत मध्याहन भोजन की व्यवस्था की गई है। मुखिया से यह आपेक्षित है कि पूर्व निर्धारित सप्ताहिक प्रारूप के अनुसार भोजन की गुणवत्ता न्याय उचित हो। भोजन बनाने, वितरण करने तथा विद्यार्थियों द्वारा ग्रहण करने का उचित प्रबंधन भी आवश्यक ही

नहीं, अपितु अनिवार्य है। इस प्रक्रिया का मुख्य उदेश्य बालको मे कुपोषण की कमी को दूर करना है। परंतु विद्यालय मुखिया इससे व्यक्तितत्व विकास के अनेक पहलुओं को जोड़ सकते है। भोजन ग्रहण करने संबंधी शिष्टाचार, बैठने की सही मुद्रा, खाने का सही तरीका, अपने बर्तन एवं बैठने के स्थान की सफाई, अनुशासन से पंक्तिबद्ध आना जाना आदि व्यक्तितत्व के कुछ ऐसे पहलू है जिनका विकास अति आवश्यक है। विदयार्थियों का वव्यक्तित्व विद्यालय के व्यक्तित्व का निर्माण करता है।

(iv) दैनिक अनुशासन क्रियाएँ

दैनिक अनुशासन क्रियाएँ यानी दिन भर विद्यालय की तमाम गतिविधियों का आत्म अनुशासन के साथ क्रियान्वयन। विद्यालय की डीपीई/पीटीआई/ सदन प्रभारी आदि के रचनात्मक तालमेल से इसे मूर्त रूप दिया जा सकता है। विद्यार्थियों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर पंक्ति बद्ध होकर जाना, आधी छुट्टी तथा छुट्टी के दौरान भगदड़ न मचाना, विद्यालय की संपत्ति को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से नुकसान नहीं पहुंचाना, सीनियर तथा जूनियर विद्यार्थियों द्वारा अपने नैतिक दायित्व का निर्वाह सुनिश्चित करने के संस्कार डालने के लिए प्राचार्य को बहुआयामी प्रेरक प्रबंधन सुनिश्चित करने होंगे। विद्यालय मे अनुशासन का वातावरण बनाने के लिए मुखिया का एक सूक्ष्म प्रेक्षक (**observer**) होना अति आवश्यक है। विद्यालय मे प्रवेश करते समय से विद्यालय से जाने तक, एक मुखिया को चाहिए कि वह विद्यालय के हर मूर्त एवं अमूर्त सूक्षमता से देखे, फिर चाहे वह साफ सफाई से लेकर घास व फूलों के मुरझाने तक हो यआ फिर विद्यार्थियो एवं शिक्षकों के प्रत्येक गतिविधि के निरीक्षण से हो।

पाठ्येतर गतिविधियों संबंधी सीमाएँ

- कुछ बच्चों को ही केन्द्र में रखकर बाल सभाओं एवं प्रतियोगिताओं का आयोजन।
- प्रार्थना सभा में बच्चों का बेहोश होना।
- अनुशासन को गंभीरता से ना लेना।
- छात्रों व अध्यापकों की इन गतिविधियों में रुचि ना लेना।
- मुखिया पर कार्यभार की अधिकता होना।
- विद्यालय के अध्यापकों में टीमभावना का अभाव होना।
- मुखिया द्वारा विभिन्न प्रभारों का आबंटन विषय विशेषज्ञता तथा रूचि-अभिरुचि के अनुसार न किया जाना।
- विद्यालय में कार्यों तथा प्रभारों का समान बंटवारा न होना।
- अभिभावकों द्वारा न्यायोचित अपेक्षित सहयोग न मिलना।
- विद्यार्थियों एवं प्रभारियों को उचित व अपेक्षित प्रोत्साहन न मिलना।
- पाठ्येतर गतिविधियों की नियमित समीक्षा बैठक के अनुरूप अपेक्षित बदलाव व सुधार न करना।

साप्ताहिक प्रारूप

(i) सदन प्रक्रिया

विद्यालय में अंतर्सदनीय प्रतिस्पर्धा का रचनात्मक माहौल तैयार करने के उद्देश्य से विद्यालय के सभी शिक्षकों तथा विद्यार्थियों को चार संतुलित भागों में बांटने की प्रक्रिया सदन प्रक्रिया है।

हर सप्ताह एक सदन विद्यालय की प्रार्थना सभा से लेकर बालसभा तक के सभी प्रभार संभालकर विद्यालय की रचनात्मकता को और ज्यादा समृद्ध बनाने के कार्य को अंजाम देता है। विद्यालय के मुखिया को सबसे पहले चार सदन प्रभारियों को चयनित कर संबंधित उद्देश्यों पर विमर्श करना होगा। फिर सभी शिक्षकों को इस तरह से चारों सदन में विभाजित किया जाए कि सदन विभिन्न गतिविधियां के संपादन के लिए चार संतुलित टीमें बन सकें। विद्यार्थियों को भी इसी उद्देश्य से अनुक्रमांक के आधार पर सदन अलॉट किए जाएँ। सदन के शिक्षक प्रभारी की भांति छात्र व छात्रा प्रभारी का चयन भी सदन प्रभारी तथा सहयोगी मिलकर करें।

खेल क्लब

हरियाणा प्रदेश के शिक्षा विभाग में खेलों का अपना वार्षिक कैलेंडर शामिल किया गया है, जिसमें सभी प्रकार के खेलों का लड़के तथा लड़कियों के लिए विभिन्न आयु वर्गों में खंड स्तर से राज्य स्तर तक के मुकाबलों का प्रारूप शामिल है। खंड स्तर से राज्य स्तर तक प्रतिभागी बच्चों को विभाग की तरफ से मानदेय/ डाइट राशि आदि विभाग प्रदान किया जाता है। विजेताओं के लिए पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र अलग से दिए जाते हैं। खेल क्लब के माध्यम से इन प्रतिभाओं को चयनित करके मंच प्रदान करवाया जाता है।

विद्यालय की दैनिक, सप्ताहिक, मासिक एवं वार्षिक पाठ्येतर गतिविधियों की कुशल संचालन के लिए विद्यालय में एक सक्रिय सदन प्रक्रिया बेहद जरूरी है। किस सप्ताह का प्रभारी कौन सा सदन होगा, यह भी सूचित कर दिया जाए। चारों सदनों के नामकरण में भी एकरूपता हो। सदन का नाम महापुरुषों, वैज्ञानिकों, पर्वत श्रृंखलाओं, नदियों आदि के नाम पर रखा जा सकता है। नामकरण के अनुसार ही सदन के झंडों के प्रारूप व रंग निर्धारित किए जाने चाहिये। सदन प्रक्रिया में यह भी सुनिश्चित किया जाए कि दैनिक, सप्ताहिक तथा मासिक कार्यक्रमों के अलावा राष्ट्रीय पर्वों, वार्षिक उत्सव तथा अन्य समसामयिक कार्यक्रम की मेजबानी, वही सदन करे जिसकी प्रभार के अंतर्गत संबंधित आयोजन आए। सदन प्रक्रिया के कुशल संयोजन के लिए संगठन के बाद सदन बैठकों का होना जरूरी है, जिनमें सदन प्रभारी तथा अन्य शिक्षकों द्वारा विस्तार से सदन प्रक्रिया के दौरान होने वाली विभिन्न गतिविधियों का विस्तृत ब्योरा देने के अलावा विभिन्न गतिविधियों के लिए विद्यार्थियों की प्रतिनिधि टीमों का चयन करना भी जरूरी है।

बालिका मंच

हर विद्यालय में छात्राओं की विभिन्न निजी समस्याओं के निदान, किशोरावस्था से जुड़ी जिज्ञासाओं की जानकारी तथा उन्हें विभिन्न समस्या में पैरों के संदर्भ में जागरूक करने के उद्देश्य से ही है मंच जरूरी है। महिला शिक्षकों द्वारा संचालित इस क्लब कि नियमित मासिक बैठक छात्राओं को निरंतर दिशा को देती है।

इसी प्रकार बीच-बीच में सदन की समीक्षा बैठक भी सदन प्रक्रिया की दशा ओर दिशा को विद्यार्थियों तथा संस्था हित मे ले जाने के लिए ज़रूरी है। वार्षिक उत्सव, वार्षिक खेल उत्सव, मासिक कार्यक्रमों,

विज्ञान मेलों, कला प्रदर्शनियों आदि में संयोजक भले ही सदन विशेष हो, किंतु इसमें सभी सदन के झंडों तथा प्रतिनिधियों को उचित स्थान एवं सम्मान दिया जाए। विद्यालय के मुखिया को चारों सदन के संरक्षक के रूप में सम्मान दिया जाए तथा वे स्वयं चारों सदन का संरक्षण एवं उत्साहित करने के दायित्व को आगे बढ़कर निभायेँ।

(ii) साप्ताहिक प्रतियोगिताएं/ बाल सभाएं/ आनंदमय शनिवार

छात्रों मे पाठ्येतर गतिविधियो के प्रति रूची बनाने एवं विभिन्न गतिविधियो के अभ्यास के लिए हरियाणा के सरकारी विद्यालयों मे प्रत्येक शनिवार को आनंदमय शनिवार के रूप में लिया जाता है। प्रत्येक शनिवार को साप्ताहिक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। इन प्रतियोगिताओं का आयोजन बाल सभाओं के द्वारा किया जाता है।

- बाल सभाओं की समय अवधि दो घंटो से अधिक न हो।
- मौसम के अनुसार बाल सभाओं का आयोजन गर्मी मे सुबह एवं सर्दी में श्याम को करवाया जा सकता है।
- प्रतियोगिताएं छठी से आठवीं कनिष्ठ तथा नवीं से बारहवीं वरिष्ठ वर्गों में अलगअलग कराई जाएँ।-
- हर बाल सभा में सदनवार शिक्षकों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाए।

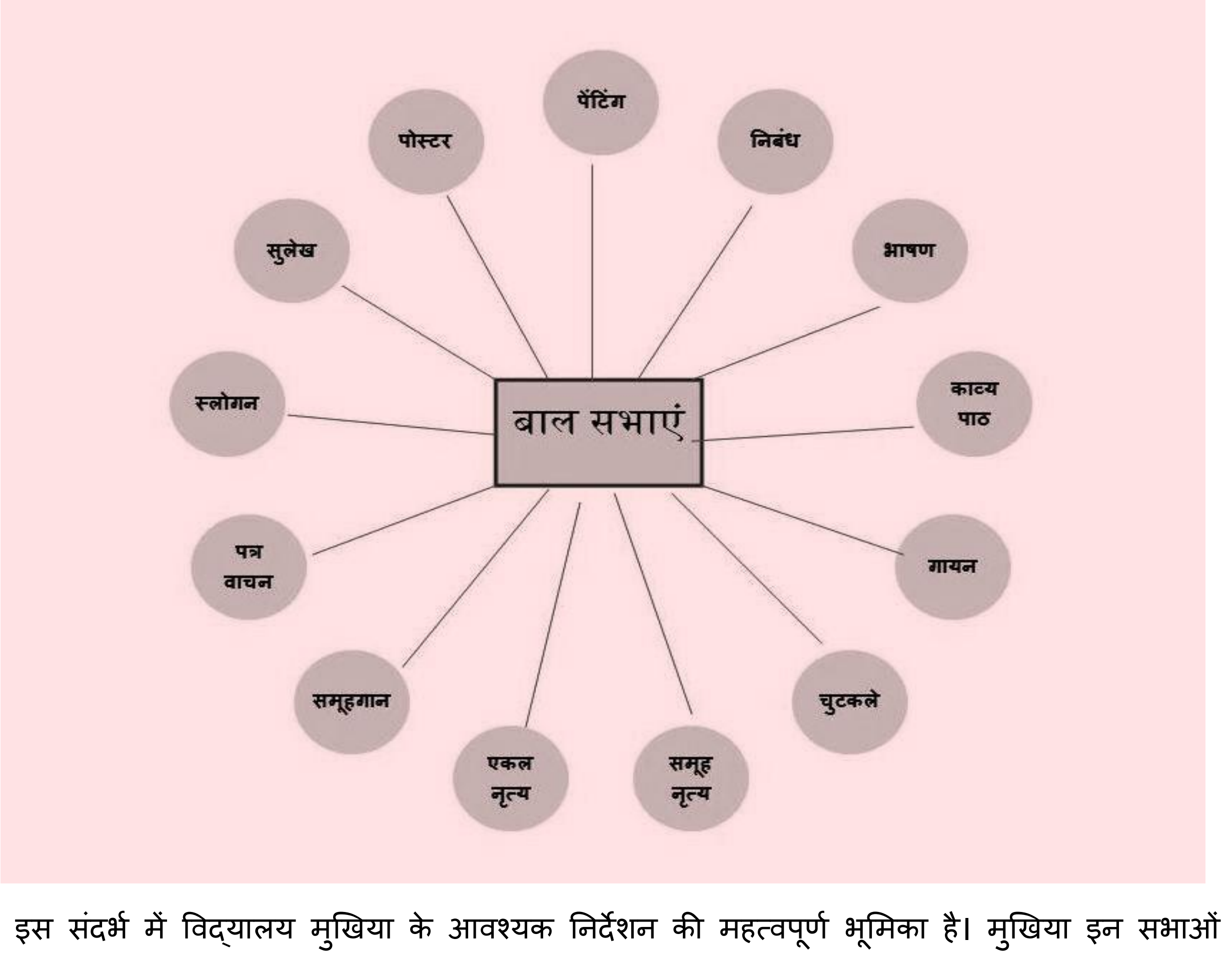

इस संदर्भ में विद्यालय मुखिया के आवश्यक निर्देशन की महत्वपूर्ण भूमिका है। मुखिया इन सभाओं एवं प्रतियोगिताओं के विषय एवं विधा के क्षेत्र का निर्धारण अपनी उपस्थिति मे करे ओर इनके सुचारु क्रियान्वन संबंधी संसाधनो का प्रबंध करे। मुखिया की प्रत्यक्ष भागीदारी छात्रों एवं अध्यापकों के लिए प्रोत्साहन एवं अनुशासन का काम करेगी।

मासिक प्रारूप

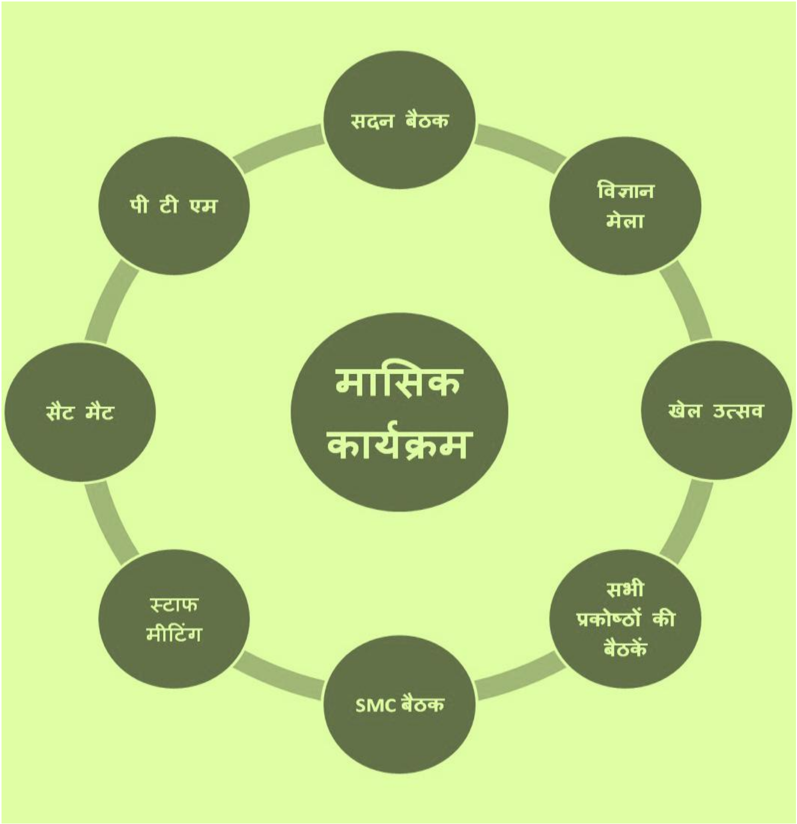

विज्ञान मेला, विज्ञान प्रदर्शनी, अभिभावक-अध्यापक बैठक, प्राचार्य स्टाफ मीटिंग, बालिका मंच बैठक, बाल मंच बैठक, विभिन्न प्रकोष्ठों की बैठक, राष्ट्रीय कैडेट कॉर्प्स, स्काउट एंड गाइड, सांस्कृतिक क्लब , विज्ञान मंच, गणित क्लब, कानूनी साक्षरता प्रकोष्ठ आदि, स्कूल प्रबंधन समिति बैठक आदि के मासिक रचनात्मक प्रारूप विद्यालय के अंतिम शनिवार को रखने सुनिश्चित किए जाएँ, जिसके माध्यम से एक ओर जहां विद्यार्थियों अभिभावकों तथा शिक्षकों के बीच रचनात्मक तालमेल बना रहेगा, वहीं सीपीटीएम के आधार पर प्राचार्य एवं स्टाफ की बैठक तथा प्राचार्य एवं स्कूल प्रबंधन समिति की बैठक कुछ समसामयिक ठोस निर्णय लेकर संस्था तथा विद्यार्थियों के हित में कुछ नई पहल प्रारंभ की जा सकती है। इन तमाम बैठकों में एक ओर जहां पिछले माह की गतिविधियों की बहुआयामी समीक्षा की जाए, वहीं आगामी महीने का प्रारूप, प्राथमिकताएं, रणनीतियां, बदलाव आदि पर विस्तृत चर्चा के साथ सभी की जिम्मेवारी एवं जवाबदेही सुनिश्चित की जाए। यह सब स्कूल मुखिया की इच्छाशक्ति, निर्णय क्षमता तथा नवाचारी जीवन शैली के लिए भी निर्णायक रहेगा। इन मासिक प्रारूपों के आधार पर ही अगले माह की कैलेंडर को तैयार कर लिया जाए, जिसमें महीने भर होने वाली गतिविधियों तथा प्राथमिकताओं की जानकारी प्रार्थना सभाओं तथा बाल सभाओं में भी समय अनुसार दी जा सके। विद्यालय में एकरूपता व रचनात्मकता बनाए रखने के लिए भी वार्षिक, मासिक तथा दैनिक प्रारूप बेहद आवश्यक हैं।

युवा संसद क्लब

संसद की लोकतांत्रिक व्यवस्था तथा लोकतांत्रिक मूल्यों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु प्रदेश के शिक्षा विभाग में प्रतिवर्ष खंड के एक विद्यालय को युवा संसद आयोजित करने के लिए दी जाती है। इसके लिए उक्त क्लब का गठन एवं संयोजन जरूरी है।

(i) विभिन्न रचनात्मक प्रकोष्ठ बैठकें

जिस प्रकार सदन प्रक्रिया विद्यालय की दैनिक साप्ताहिक तथा मासिक गतिविधियों के संयोजन संपादन तथा संचालन में निर्णायक भूमिका निभाती है, ठीक उसी प्रकार विद्यालय की अन्य विभिन्न पाठ्येतर गतिविधियों को अनुशासित तथा सुचारू ढंग से संचालित करने के लिए

संबंधित प्रकोष्ठों का गठन जरूरी है, जिनमें भाषा मंच, सांस्कृतिक प्रकोष्ठ, विज्ञान क्लब, गणित क्लब, बालिका मंच, राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई, एनसीसी यूनिट, स्काउट एंड गाइड प्रकोष्ठ, इको क्लब, बाल मंच, कानूनी साक्षरता प्रकोष्ठ, बुक बैंक,खेल क्लब आदि उल्लेखनीय हैं। ये सभी प्रकोष्ठ विद्यालय की दैनिक, साप्ताहिक तथा मासिक गतिविधियों में अपनी रचनात्मकता से नए रंग भरने में अपनी मौलिक उपस्थिति दर्ज कराते हैं। दूसरा, इन के माध्यम से विद्यालय के उन तमाम बच्चों को भी प्रतिनिधित्व की जिम्मेवारी मिलती है,जो मंच की ललित कलाओं से जुड़ी मुख्य गतिविधियों में किसी कारण से भाग नहीं ले पाते। स्कूल मुखिया को इन प्रकोष्ठों के गठन के लिए भी सदन प्रक्रिया की तरह सुपात्र शिक्षकों को संबंधित प्रकोष्ठ या कलम से जोड़कर उनमें उसी रुचि अभिरुचि के कक्षा वार विद्यार्थियों का चयन कर शामिल किया जाना चाहिए। इन सभी प्रकोष्ठों या क्लबों की गतिविधियां विभागीय तथा विद्यालयी जरूरतों के मुताबिक निरंतर जारी रहती हैं, किंतु विद्यालय के पूर्व निर्धारित मासिक कार्यक्रमों के अंतर्गत इनके गठन समीक्षा आदि की बैठकों का प्रारूप सदन प्रक्रिया की भांति तैयार किया जाए। इन सभी प्रकोष्ठों का भी नामकरण कर इन्हें और ज्यादा व्यावहारिक बनाया जा सकता है। खेल क्लब का नाम किसी खिलाड़ी के नाम पर रखा जा सकता है। इसी प्रकार किसी साहित्यकार के नाम पर भाषा मंच, खिलाड़ी के नाम पर खेल मंच, गणितज्ञ के नाम पर गणित क्लब आदि प्रासंगिक एवं प्रेरक रहेंगे। उदाहरण के तौर पर कुछ नामकरण इस प्रकार हैं, डॉ सी वी रमन साइंस क्लब, बाबू बालमुकुंद गुप्त भाषा मंच, रामानुजन गणित क्लब, कल्पना चावला बालिका मंच, नई उड़ान सांस्कृतिक प्रकोष्ठ, ।

कानूनी साक्षरता मंच

हरियाणा प्रदेश के शिक्षा विभाग में प्रतिवर्ष कानूनी साक्षरता पर आधारित करीब एक दर्जन प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है, जिनमें हर प्रतियोगिता के विजेता को खंड स्तर, जिला स्तर तथा राज्य स्तर पर नगद राशि प्रदान की जाती है। खंड स्तर जिला स्तर, तथा राज्य स्तर के आयोजन करने के लिए भी मेजबान विद्यालय को संबंधित राशि का बजट दिया जाता है। नाटक, काव्य पाठ, प्रश्नोत्तरी, पेंटिंग, स्लोगन, निबंध, भाषण, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, डॉक्यूमेंट्री फिल्म आदि सभी प्रतियोगिताओं के लिए कानूनी साक्षरता पर केंद्रित विषय होते हैं, जैसे महिला सशक्तिकरण, घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न, लड़का लड़की में भेदभाव, नशा निवारण, आरटीई, आरटीआई, बुजुर्गों के अधिकार दिव्यांगों के अधिकार, पर्यावरण संरक्षण आदि। इन सब प्रतियोगिताओं की लिए विद्यालय में कानूनी साक्षरता प्रकोष्ठ का होना जरूरी है।

(ii) विद्यालय प्रबंधन समिति बैठक

हरियाणा प्रदेश के शिक्षा विभाग में स्कूल प्रबंधन समिति (एस.एम.सी.) का अपना विशिष्ट महत्व है, वस्तुतः मासिक प्रारूप में प्राचार्य के साथ इस समिति के सदस्यों की नियमित बैठक आवश्यक है, जिसमें विभाग की विभिन्न परियोजनाओं को व्यावहारिकता से लागू करने के लिए विचार विमर्श के अलावा विद्यालय की बहु आयामी प्रगति हेतु नई योजनाओं को मूर्त रूप दिया जाता है। विद्यालय मुखिया इन कार्यक्रमों की सूची अग्रिम रखे और इन बैठकों को

विद्यालय की पाठ्येतर एवं पाठ्य संबंधी गतिविधियों से जोड़ने का प्रयास करे। एसएमसी सदस्यों को विद्यालय की सीमाओं एवं समस्याओं से परिचित करवाते हुए उनको सहयोग के लिए प्रोत्साहित करें। विभिन्न अवसरों पर एसएमसी सदस्यों को आमंत्रित करें एवं उन्हे विद्यालय का महत्वपूर्ण अंग होने का प्रयास कराएं। ये बैठकें उस दिन रखी जाएँ जिस दिन विद्यालय मे प्रतियोगिताए हो ताकि एसएमसी सदस्य भी इन प्रतियोगिताओं का आनंद ले और अधिक समय विद्यालय मे बिता सकें।

(iii) **शिक्षक अभिभावक बैठक**

मासिक प्रारूप के अंतर्गत अभिभावक-शिक्षक बैठक (पीटीएम) निर्णायक भूमिका निभाती है, जिसमें एक ओर जहां शिक्षक विद्यार्थियों की मासिक मूल्यांकन परीक्षा से अभिभावकों को परिचित करवाते हैं, वहीं उनकी खूबियों तथा खामियों के अनुसार रचनात्मक विमर्श करते हैं। इस बैठक में, किसी कारणवश, नहीं पहुंचने वाले अभिभावकों की ई-बैठक भी की जा सकती है, जिसमें पूर्व निर्धारित प्रारूप अनुसार संबंधित अभिभावक शिक्षक एवं प्राचार्य का शामिल होना सुनिश्चित हो। शिक्षक अभिभावक बैठक वाले दिन भी कुछ सांस्कृतिक एवं मनोरंजक का प्रावधान मुखिया कर सकता है।

(iv) **प्राचार्य शिक्षक बैठक**

विद्यालय के चहुँमुखी विकास के लिए यह बैठक भी मासिक प्रारूप में बेहद जरूरी बन जाती है, जिसमें पिछले माह की गतिविधियों की समीक्षा की जाती है तथा भावी माह की प्राथमिकता को केंद्र में रखकर विमर्श किया जाता है। इसमें शिक्षकों के सुझाव एवं विचार

मुखिया अवश्य करें

- विद्यालय मुखिया को यह भी सुनिश्चित करना है कि ये तमाम पाठ्येतर गतिविधियां कहीं विद्यालय की पढ़ाई एवं शैक्षणिक माहौल पर प्रतिकूल प्रभाव तो नहीं डाल रही
- विद्यालय मुखिया को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि इन पाठ्येतर गतिविधियों में अधिकांश विद्यार्थियों एवं शिक्षकों की प्रत्यक्ष प्रतिभागिता हो, ताकि हर किसी को न्यायोचित मंच प्रदान किया जा सके
- विभागीय वार्षिक कैलेंडर के साथ विद्यालय का अपना शैक्षणिक कैलेंडर बनाकर लागू करें।
- दैनिक, साप्ताहिक, मासिक तथा वार्षिक प्रारूप की रचनात्मक समीक्षा स्टाफ के साथ मिलकर करें।
- उक्त साप्ताहिक, मासिक तथा वार्षिक प्रारूप में अभिभावकों, सामाजिक संगठनों तथा विभाग के उच्च अधिकारियों के प्रतिनिधिमंडल को समय समय पर अवश्य आमंत्रित करें।
- इन पाठ्येतर गतिविधियों प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से भागीदारी देने वाले विद्यार्थियों एवं शिक्षकों को समय-समय पर प्रेरित एवं प्रोत्साहित करें।
- विभिन्न गतिविधियों के विशेषज्ञ-शिक्षकों की प्रतिभा का संस्था को लाभ दिलवाएँ।
- इन गतिविधियों के माध्यम से विद्यालय के अनुशासन एवं टीम भावना को सुदृढ़ करने को सर्वोच्च प्राथमिकता दें।
- विद्यालय मे एक सेमिनार हौल के निर्माण को प्राथमिकता दें ताकि गर्मी एवं बरसात मे विद्यालय की महतअवपूर्ण गतिविधियाँ सुचारु रूप से चल सकें।

आमंत्रित कर मुखिया को विद्यालय को निरंतर उत्कृष्टता की ओर ले जाने के प्रयोग एवं प्रयास करने चाहिए।

वार्षिक प्रारूप

(i) विभिन्न राष्ट्रीय पर्व उत्सव

वार्षिक प्रारूप के अनुसार विद्यालय में राष्ट्रीय पर्व जैसे स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस आदि पर विशेष आयोजन प्रस्तावित एवं उपेक्षित होते हैं। विद्यालय में आयोजित इन आयोजनों में विद्यालय मुखिया समाज के विभिन्न प्रतिनिधियों तथा स्कूल प्रबंधन समिति के अलावा अन्य सहयोगी संगठनों को भी शामिल कर राष्ट्रीय दायित्व का निर्वहन करना सुनिश्चित करें।

सांस्कृतिक प्रकोष्ठ

इस प्रकोष्ठ में बाल सभा के माध्यम से विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों के चयनित विद्यार्थियों तथा विषय विशेषज्ञ प्रभारियों को शामिल किया जाता है, ताकि वर्ष भर अवसर विशेष पर होने वाले सांस्कृतिक पक्ष में विद्यालय निरंतर कुछ नया तथा सर्वश्रेष्ठ दे सके।

(ii) विभिन्न सांस्कृतिक उत्सव

विद्यालय में विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों तथा वार्षिक खेल गतिविधियों के लिए उक्त आयोजन निर्धारित प्रारूप के अनुसार किया जाए, जिसमें विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अलावा खेलकूद की विभिन्न प्रतियोगिताओं का अंतर्सदनीय मुकाबला रखा जाए। विभाग के वार्षिक कैलेंडर तथा विद्यालय के अपने रचनात्मक कैलेंडर के तालमेल के बीच इन आयोजनों को आधा शैक्षणिक सत्र बीत जाने के बाद ही किया जाए ताकि मासिक कार्यक्रमों से खोजी गई प्रतिभाओं को इन प्रतियोगिताओं में अपना सर्वश्रेष्ठ देने का अवसर मिले।

गणित क्लब

एससीईआरटी, गुरुग्राम की देखरेख में प्रति वर्ष गणित विषय की प्रश्नोत्तरी का आयोजन किया जाता है, जिसमें क्लब निर्णायक भूमिका निभाता है। इसके अलावा विज्ञान एवं गणित प्रदर्शनी में भी इस क्लब का महत्वपूर्ण योगदान होता है।

(iii) वार्षिक उत्सव

विद्यालय की वर्षभर की शैक्षणिक, सांस्कृतिक तथा खेलकूद गतिविधियों के विजेताओं को अलंकृत करने तथा विद्यालय की आयामी उपलब्धियों को रेखांकित करने के उद्देश्य से यह उत्सव शैक्षणिक सत्र के अंत में परीक्षाओं से पहले रखा जाए, जिसमें वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार विद्यालय का नाम, खंड, जिला तथा राज्य स्तर पर शैक्षणिक, सांस्कृतिक तथा खेलकूद के क्षेत्र में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को विशेष रूप से सम्मानित किया जाए। इसमें

स्कूल प्रबंधन समिति, अभिभावकगण, विभाग एवं जिला प्रशासन के उच्च अधिकारियों,क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों तथा सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों को विशेष रूप से आमंत्रित किया जाए।

(iv) **ब्लॉक, जिला, राज्य स्तरीय प्रतियोगिताएं**

हरियाणा के शिक्षा विभाग में शैक्षणिक सांस्कृतिक तथा खेलकूद की गतिविधियों को बढ़ावा देने तथा विद्यार्थियों के बहुआयामी विकास हेतु विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन विद्यालय स्तर से लेकर राज्य स्तर तक किया जाता है, जिनमें सांस्कृतिक उत्सव, कानूनी साक्षरता प्रतियोगिताएं, कला उत्सव, प्रतिभा खोज कार्यक्रम, विज्ञान प्रदर्शनी, गणित प्रश्नोत्तरी, गीता जयंती प्रतियोगिताएं, सड़क सुरक्षा प्रतियोगिताएं, निर्वाचन प्रतियोगिताएं, एससीईआरटी के जनसंख्या शिक्षा प्रकोष्ठ की प्रतियोगिताएं, विज्ञान ड्रामा, रोल प्ले, विज्ञान प्रश्नोत्तरी आदि उल्लेखनीय हैं।

साइंस क्लब

एससीईआरटी,गुरुग्राम की देखरेख में प्रतिवर्ष विज्ञान के विभिन्न गतिविधियों का आयोजन हरियाणा के शिक्षा विभाग में किया जाता है, जिनमें विज्ञान प्रदर्शनी, विज्ञान ड्रामा, विज्ञान प्रश्नोत्तरी आदि उल्लेखनीय हैं। विद्यालय स्तर से राज्य स्तर तक आयोजित होने वाली इन विभिन्न गतिविधियों का संयोजन एवं संचालन विद्यालय के साइंस क्लब द्वारा किया जाता है, जिसमें विज्ञान संकाय के विद्यार्थियों एवं प्रभारियों को क्लब में शामिल किया जाता है।

विद्यालय मुखिया का यह दायित्व बनता है कि विद्यालय की बाल सभाओं के माध्यम से चयनित विभिन्न प्रतिभाओं को इन सभी प्रतियोगिताओं हेतु खंड स्तर पर प्रतिभा गीता हेतु भेजें, विशेषज्ञ प्रभारियों द्वारा इनकी उत्तरोत्तर तैयारी करवाएं ताकि यह प्रतिभाएं खंड स्तर से राज्य स्तर तक अपनी उपस्थिति दर्ज करवा सकें।

निष्कर्ष

पाठ्येतर गतिविधियों की दैनिक, साप्ताहिक, मासिक तथा वार्षिक प्रारूप के निर्धारण, निर्देशन, संयोजन तथा संचालन में स्कूल मुखिया की केंद्रीय भूमिका होती है। इन तमाम गतिविधियों की कुशल संचालन में शिक्षकों के साथ विद्यार्थियों का अपना योगदान रहता है।ये तमाम गतिविधियां विद्यालय के शैक्षणिक माहौल को और अधिक समृद्ध एवं अनुशासित बनाने की पक्षधर,पोषक और सजग प्रहरी रही हैं, बशर्ते इनके प्रति विद्यालय की पूरी टीम का समर्पण एवं अनुशासन बना रहे। किसी भी विद्यालय को निरंतर उत्कृष्टता की ओर ले जाने में विद्यालय के शिक्षकों, विद्यार्थियों तथा अभिभावकों के बीच रचनात्मक समन्वय एवं टीम भावना का होना अनिवार्य है, जिसे विद्यालय के मुखिया एवं स्कूल लीडर उपरोक्त पाठ्येतर गतिविधियों के माध्यम से प्राप्त कर सकता है। इन तमाम गतिविधियों की सर्वोच्च खासियत है कि पूरा विद्यालय हर रोज एक नई ऊर्जा से सराबोर तथा कुछ नयापन लिए होता है। हरियाणा प्रदेश के शिक्षा विभाग की वार्षिक कैलेंडर में होने वाली विभिन्न शैक्षणिक सांस्कृतिक तथा

खेलकूद की प्रतियोगिताओं को केंद्र में रखकर उक्त प्रकोष्ठों या क्लबों के माध्यम से विद्यालय अपना सर्वश्रेष्ठ दे सकता है।

निर्माणकर्त्ता
श्री सत्यवीर यादव
रसायनशास्त्र प्राध्यापक
राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय
खोरी, रेवाड़ी

स्वरूपण एवं संपादन
डॉ रजनी कुमारी
परामर्शदाता, SLA
SCERT, Haryana

*श्री सत्यवीर यादव

रेवाड़ी जिले के गांँव खोरी स्थित राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में रसायनशास्त्र प्राध्यापक के तौर पर सेवारत सत्यवीर यादव शिक्षा विभाग में उत्कृष्ट सेवाओं के लिए वर्ष 2020 के राज्य शिक्षक पुरस्कार से अलंकृत हैं।

इसके अलावा उनकी विभिन्न साहित्यिक विधाओं में दो दर्जन कृतियांँ प्रकाशित हो चुकी हैं। इस साहित्यिक योगदान के लिए वर्ष 2018 के हरियाणा साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किए जा चुके हैं। चार हरियाणवी फिल्मों में गीत तथा संवाद लेखक की भूमिका निभा चुके श्री यादव के करीब पाँच हजार आलेख,फीचर,लेख,रचनाएँ आदि गत दो दशकों में राष्ट्रीय पत्र-पत्रिकाओं में प्रमुखता से प्रकाशित हो चुकी है। पिछले 15 वर्षों से विभिन्न अखबारों एवं पत्रिकाओं के लिए दैनिक, सप्ताहिक तथा मासिक स्तंभ नियमित रूप से लिख रहे हैं। वे एससीईआरटी, गुरुग्राम की नई शिक्षा नीति समिति व हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी की शैक्षणिक परिषद् के सदस्य हैं तथा हरियाणा स्कूल लेक्चर्ज एसोसिएशन (हसला) के शैक्षणिक प्रकोष्ठ के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। शिक्षा विभाग की अनेक राज्यस्तरीय कार्यक्रमों का संयोजन व संचालन कर चुके हैं तथा शिक्षा विभाग की मासिक पत्रिका शिक्षा सारथी में गत दो दशकों से नियमित रूप से प्रकाशित हो रहे हैं।

संपर्क सूत्र 816 850 7684